

31.08.2017

परिवादी द्वारा श्री ए.के.श्रीवास्तव अधि.  
उपस्थित।

आरोपी अनुपस्थित।

आरोपी का जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील पेश। तामील कुलिंदा प्रहलाद शर्मा उपस्थित। प्रधान आरक्षक प्रहलाद शर्मा थाना मालनपुर के फरारी कथन लिए गये। साक्षी द्वारा अपने कथनों में बताया है कि वारंट में दिये पते पर तलाश किया मौके पर उपस्थित पंचान द्वारा आरोपी को फरार होना बताया। साक्षी द्वारा यह भी बताया है कि आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। आरोपी फरार है।

अतः आरोपी अंगद सिंह को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी का स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो।

प्रकरण का परिणाम अंकित पंजी कर प्रकरण इस टीप के साथ दाखिल अभिलेखागार हो कि प्रकरण आरोपी के उपस्थित होने तक सुरक्षित रखा जावे।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत  
विशेष न्यायाधीश विद्यत, गोहद